

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004
// संशोधित पत्र //

(H)

क्रमांक 1325/1014/आउशि/संबद्धता/11
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/3/12

कुलसचिव,
वरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल।

विषय:- मंजुला के० पोण्ड कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट, भोपाल को सत्र 2012-13 में जारी की गई अनुमति में संशोधन किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 414-415/1014/आउशि/संबद्धता/11 दिनांक-23.2.12 द्वारा अशासकीय मंजुला के० पोण्ड कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट, भोपाल को सत्र 2012-13 हेतु जारी की गई अनुमति पत्र में अंकित पाठ्यक्रम को निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

पूर्व में जारी पाठ्यक्रम	संशोधित पाठ्यक्रम
बी०बी०ए०-द्वितीय-मैनेजमेंट	बी०ए०-द्वितीय-मैनेजमेंट

पूर्व में जारी की गई अनुमति पत्र की शर्तें यथावत रहेगी।

1/3/12
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 3/3/12

पृ० क्रमांक 1326/1014/आउशि/संबद्धता/11
प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, मंजुला के० पोण्ड कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट, भोपाल की ओर आपके पत्र दिनांक 1.3.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल होशंगाबाद संभाग, भोपाल
3. प्राचार्य, शा० अग्रणी हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल।

1/3/12
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक/
प्रति,

/आउशि/शा-13/सम्ब/07

भोपाल, दिनांक

21/6/07

अध्यक्ष/सचिव,

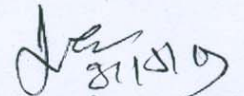
श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षण समिति,
119, न्यू सिंधी कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल ।विषय:- सत्र 2007-08 में नवीन महाविद्यालय में अनुमत पाठ्यक्रमों का शुल्क जमा करने
बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र कमांक/1294-95/आउशि/शा-13/सम्ब/07, दिनांक 28/2/07।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 28/2/07 द्वारा संस्था को
सत्र 2007-08 से नवीन अशासकीय मंजूला के.पोण्डा कालेज आफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, भोपाल
प्रारंभ करने एवं उसमें निम्न पाठ्यक्रम की अनुमति दी गई है :-

पाठ्यक्रम

1. बी.काम.(प्रथम)- सामान्य एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
प्रेक्टिस आफ मैनेजमेंट एंड इन्श्योरेंस,
टूरिज्म एंड टेवल्स मैनेजमेंट,
फारेन टेड प्रेक्टिसिस प्रोसीजर्स,
एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट
(अतिरिक्त विषय)
2. बी.बी.ए.(प्रथम)
3. बी.सी.ए.(प्रथम)
2. उक्त दी गई अनुमति के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि विभाग की अशासकीय
महाविद्यालय संचालित करने संबंधी विभाग की मार्गदर्शिका के बिन्दु-3 की कण्डिका-(ब) के दर्शाये
अनुसार उपर्युक्त अनुमत किये गये विषयों/पाठ्यक्रमों का विषयवार/संकायवार निर्धारित शुल्क
15 दिवस के अंदर चालान द्वारा जमा कर चालान की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा करें ।
तत्पश्चात ही उक्त दी अनुमति अंतिम रूप से मान्य होगी । अन्यथा उक्त अनुमति निरस्त करने
की कार्यवाही की जावेगी ।


(एस0के0उपाध्याय)

अपर संचालक,

उच्च शिक्षा, म0प्र0, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ0क0/

/आउशि/शा-13/सम्ब/07

प्रतिलिपि:-

कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित ।

सहायक संचालक,
उच्च शिक्षा, म0प्र0, भोपाल

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक /आउशि/संबद्ध/08
प्रति,

भोपाल, दिनांक-

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल, म०प्र०।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अन्तर्गत अनुमति - अशासकीय मंजुला के० पोण्डा कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट भोपाल।

संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 31.12.07 एवं 8.5.08

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम श्री कपिल पोंडा मेमोरियल शिक्षा समिति द्वारा संचालित अशासकीय मंजुला के० पोण्डा कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भोपाल को सत्र 2008-09 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी०काम० द्वितीय-सामान्य एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, प्रेक्टिस आफ मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रीज टुरिज्म एण्ड ट्रेवल्स मैनेजमेंट फारेन ट्रेड प्रेक्टिस प्रोसिजरस, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एण्ड सेल्स मैनेजमेंट अतिरिक्त विषय

1. बी०बी०ए०-द्वितीय

2. बी०सी०ए०-द्वितीय

2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :-

अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले।

3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० मंजुला शर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

क्रमांक 175/आउशि/संबद्ध/07

भोपाल, दिनांक- 31-5-08

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल होशंगाबाद संभाग, भोपाल।

3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल।

4. अध्यक्ष/सचिव, श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षा समिति, 119, न्यू सिंधी कालानी, बैरागी रोड, भोपाल।

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

(11)

क्रमांक
प्रति,

/आउशि/संबद्ध/08

भोपाल, दिनांक-

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल, म0प्र0।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अन्तर्गत अनुमति - अशासकीय मंजुला के पोण्डा कालेज ऑफ बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट लाम्बाखेड़ा, भोपाल।

संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 6.1.09

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षण समिति, न्यू सिंधी कालोनी, भोपाल द्वारा संचालित अशासकीय मंजुला के पोण्डा कालेज ऑफ बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट, भोपाल को सत्र 2009-10 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी0बी0ए0-तृतीय वर्ष

2. बी.सी.ए.- तृतीय वर्ष

3. बी.कॉम. तृतीय वर्ष - सामान्य एवं वोकेशनल विषय - कम्प्यूटर एप्लीकेशन, प्राक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, टूरिज्म एवं ट्रेवल मैनेजमेंट, फारेन ट्रेड प्रोक्टिस एंड प्रोसीजर, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट

- 2./ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियों कराई जावे :-
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों 15 दिवस में आवश्यक रूप से कर ले।
 - 3./ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 - 4./ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - 5./ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।
- (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० प्रभा वर्मा)

अतिरिक्त संचालक

उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

क्रमांक 1400/आउशि/संबद्ध/07

भोपाल, दिनांक-

4-6-09

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल संभाग, भोपाल।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पीजी हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल, म0प्र0।
4. प्राचार्य, मंजुला के पोण्डा कालेज ऑफ बिजनेस, लाम्बाखेड़ा, भोपाल।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा।

अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश